

18159

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(अति.कार्य)अलेसे-III/ 18159-18248 दिनांक :- 17/12/2014

कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II एवं कनिष्ठ लेखाकारों को अतिरिक्त निदेशक, एच.सी.एम.रीपा, उदयपुर द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा उपापन नियम विषयक के आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 22.12.2014 से 24.12.2014 तक भाग लेने हेतु मनोनित किया जाता है:-

क्र.स.	नाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II/ कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन विभाग
1	2	3
1.	राजीव जिन्दल	विकास अधिकारी, बड़गांव, उदयपुर
2.	निमेष राठौड	विकास अधिकारी, सलूम्बर, उदयपुर
3.	अंकुर गर्ग	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर
4.	नरेश देवपुरा	अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर
5.	राजीव राजौरिया	प्राचार्य, मीरा राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, उदयपुर
6.	महावीर सिंह शेखावत	कोषालय उदयपुर
7.	मदन लाल सैनी	जिला परिषद(महानेरगा) उदयपुर
8.	अनिल कुमार	आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
9.	मनोहर लाल सुखवाल	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोगुन्दा, उदयपुर
10.	विमल चन्द गदिया	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झाडोल, उदयपुर
11.	राजेन्द्र कुमार राका	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मावली, उदयपुर
12.	विवेक विजय	प्राचार्य, यू.जी. कॉलेज, राजसमंद
13.	रमेश चन्द बैरवा	कोषालय, राजसमंद
14.	प्रमोद पति तिवारी	विकास अधिकारी चित्तौडगढ़
15.	यशपाल बाफना	कोषालय, चित्तौडगढ़
16.	विकास जोशी	अधीक्षक, वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय, उदयपुर
17.	जगदीश प्रसाद गुप्ता	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, उदयपुर
18.	राजीव राजौरिया	प्राचार्य, मीरा राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, उदयपुर
19.	महावीर सिंह शेखावत	कोषालय, उदयपुर
20.	संजय अरोडा	कोषालय, उदयपुर
21.	अनिल कुमार	आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
22.	मदन लाल रैगर	उपकोषालय, मावली, उदयपुर
23.	भूपेन्द्र बिलोनिया	उपकोषालय, खैरवाड़ा, उदयपुर
24.	राजेन्द्र प्रसाद आलडिया	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजसमंद
25.	सुभाष चन्द मीणा	विकास अधिकारी रेलमगरा, राजसमंद
26.	दयाशंकर शर्मा	पोलेटेक्निक कॉलेज, चित्तौडगढ़
27.	लालचन्द चौहान	कोषाधिकारी, कोषालय पाली
28.	धर्मेन्द्र कुमार मीणा	जिला कलक्टर (सहायता) चित्तौडगढ़
29.	मनोज कुमार जैन	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बेगू, चित्तौडगढ़
30.	निरंजन कुमार शर्मा	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाड़ा
31.	मुकेश कुमार कुमावत	प्राचार्य, पी.जी. कॉलेज छात्र, बांसवाड़ा
32.	छोगा लाल सुथार	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाड़ा
33.	सुशील चौमाल	मण्डल वन अधिकारी, बांसवाड़ा
34.	हंसराज बैरवा, क.लेखाकार	कोषालय, उदयपुर
35.	पुरुषोत्तम दाधीच, क.लेखाकार	कोषालय, उदयपुर
36.	गिरिज प्रसाद मीणा, क.लेखाकार	पुलिस अधीक्षक, राजसमंद
37.	मनीष बल्दवा, क.लेखाकार	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ़
38.	चन्द्र शेखर आजाद सैनी, क. लेखाकार	जिला परिषद(मनरेगा) चित्तौडगढ़

क.स.	नाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II / कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन विभाग
39.	नीरज कुमार परेवा, क. लेखाकार	कोषालय, प्रतापगढ़
40.	सुभाष चन्द डिंगवाल, क. लेखाकार	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, राजसमंद
41.	मुकेश कुमार मुण्डोतिया, क. लेखाकार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II / कनिष्ठ लेखाकारों को आदेश दिये जाते हैं कि दिनांक 22.12.2014 को प्रातः 9.30 बजे प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से देकर पालना से अवगत करावें। प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उक्त प्रशिक्षण में भाग लेना सम्भव नहीं हो तो इस विभाग से लिखित में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

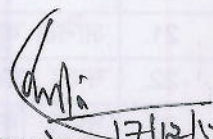
अन्य आदेशों के अभाव में प्रशिक्षण समाप्ति पर उपरोक्त सभी कार्मिक अपने अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालयों में उपस्थिति देंगे।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)(प्रशिक्षण) अलेसे-II / 18159-18248 दिनांक :- 17/12/2014

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र उदयपुर कृपया उपरोक्त कार्मिकों की प्रशिक्षण में उपस्थिति की सूचना से इस विभाग को अवगत करावें।
3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष.....को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित कार्मिक को उक्त प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावे।
4. संयुक्त निदेशक, कार्मिक-III।
5. कोषाधिकारी उदयपुर / राजसमसन्द / चित्तौड़गढ़ / बांसवाड़ा / पाली
6. श्रीको लेखाकार, कार्यालय.....को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हो एवं उपस्थिति की सूचना अविलम्ब भिजवावे। उपस्थिति नहीं देने की अवस्था में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
8. उपनिदेशक(एसीपी) को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. निजी / रक्षित पत्रावली।


(डा. नोपाराम पारीक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)